

पीएच.डी. स्कॉलर्स के आधार नंबर रहेंगे गोपनीय

यूजीसी ने दिए यूनिवर्सिटीज को निर्देश

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

विश्वविद्यालय शोधार्थियों के आधार नंबर वेबसाइट पर सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। आधार कार्ड अधिनियम के नियमों के चलते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पुराने आदेश में संशोधन किया है। इसकी देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को इसकी पालना करनी जरूरी होगी। विश्वविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि, प्रबंध अध्ययन सहित अन्य संकायों में पीएच.डी. होती है। वर्ष 2009-10 से यूजीसी पीएच.डी. और एमफिल में प्रवेश परीक्षा की अनिवार्यता लागू कर चुका है। कई विश्वविद्यालय शोधार्थियों की संख्या, टॉपिक, गाइड आवंटन, नामांकन और सूचनाएं सार्वजनिक नहीं करते। इसके चलते यूजीसी ने आदेश जारी किए। इसमें विश्वविद्यालयों के लिए वेबसाइट पर एमफिल और पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थी, शोध का टॉपिक, सुपरवाइजर और सहायक सुपरवाइजर का नाम, नामांकन, पंजीयन की तिथि, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र की सूचना देना अनिवार्य कर दिया।